न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 285 / 2021

वादपत्र अन्तर्गत धारा :-- 53, 88 आरटीए

1. भाग सिंह पिसरान लिक्षमण सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. दारासिंह पिसरान लिक्षमण सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. भीमसिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सावत्री देवी पत्नी स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. लिछमण सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. शारदा देवी पत्नी सुभाषसिंह पुत्री लिछमण सिंह जाति राजपूत साकिन कुलार तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
3. सुलोचना देवी पत्नी श्योपतसिंह पुत्री लिछमण सिंह जाति राजपूत साकिन कुलार तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
4. पूजा पत्नी जयसिंह पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. रानी पत्नी विनोदसिंह पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. ओ.बी.सी. बैंक शाखा धौलीपाल जरिये प्रबन्धक
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित --

1. श्री रामनिवास बेदी एडवोकेट (वादीगण)
2. भीमसिह छिम्पा एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 5)

निर्णय दिनांकः— 12.4.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की पैतृक कृषि भूमि चक 17 एम.जे.डी. [illegible] सं. 140/103 में 5.565है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 लिछमण सिंह के नाम दर्ज [illegible] रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णि[illegible] 5.565 है. कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवाद[illegible] पैदायशी हक व हिस्सा विरास्तन है। वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कुल भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के बीच अर्सा दराज पूर्व घरा घरू ब्राहामी बंटवारा हो चुका है। घरू बंटवारा में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने अपने अपने पैतृक हक व विरास्तन हिस्से का परित्याग अपने सगे भाईयों व भतिजे वादीगण के पक्ष में बहिव कर दिया इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 ने अपने अपने विरारत्तन पैतृक हिस्से का परित्याग अपने सगे भाई वादीगण सं. 3 व माता वादीगण सं. 4 के पक्ष में बहिब कर दियया अब वो वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है। घरू बंटवारा अच्छी मंदी भूमि को लेकर रास्ता खाला कि सुविधा अनुसार किया गया घरू बंटवारा में आई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

वादी सं. 1 भागसिंह के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

चक नं. 17 एम.जे.डी. खाता सं. 140/103

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
115/175	28	4/.227, 5/.202, 6/.228, 7/.253, 22/.253, 23/.253 कुल 1.518है. मय गै.मु.

वादी सं. 2 दारासिंह के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि

चक नं. 17 एम.जे.डी. खाता सं. 140/103

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
115/175	28	14/.253, 15/.228, 16/.227, 17/.253
115/176	35	1/.253, 2/.253 कुल 1.518है. मय गै.मु.

वादीगण सं. 3 व 4 के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

चक नं. 17 एम.जे.डी. खाता सं. 140/103

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
115/175	28	24/.253, 25/.228
115/176	35	3/.253, 4/.253, 5/.253
114/176	36	4/.228 कुल 1.518है. मय गै.मु.

प्रतिवादी सं. 1 लिछमणसिंह के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

चक नं. 17 एम.जे.डी. खाता सं. 140/103

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
116/175	29	1/.227
116/176	34	1/.253
115/176	35	6/.253, 7/.253, कुल 1.011है. मय गै.मु.घरू बंटवारा के राजे

से हिस्से में आई भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त को लेकर विवाद नहीं है। वादीगण ने अपने हिस्से में आई भूमि पर भारी रूपया खर्च कर सुधार किया है व अपने अपने हिस्से की भूमि को सिंचाई योग्य बनाया गया है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि घरू बंटवारा मुताबिक आज वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण व भूमि सांझा खाता में होने के कारण सींव बट रकमराज आबियाना इत्यादी को लेकर बिना वजह विवाद बना रहता है जबकि वादीगण वाद भूमि में पैदायशी हक व हिस्से रखते है तथा वादी भूमि के वादीगण कब्जा काश्त मुताबिक खातेदार काश्तकार कहलाने के अधिकारी एवं दावेदार है तथा अपना खाता घरू बंटवारा मुताबिक अलग कायम करवाने के हकदार एवं दावेदार है। गत माह वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 से निवेदन किया कि वो वादभूमि में वादीगण को घरू बंटवारा मुताबिक खातेदार काश्तकार मान लेवे और कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम करवा लेवे। तो पहले तो वह आज कल आज कल करता रहा परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो आपके नाम वादीभूमि [illegible] कारण है। प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को परिवार के सदस्य होने के कारण व प्रतिव[illegible] नाम भूमि रहन होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 7 को भूमिधारक [illegible] बनाया गया है। इनके खिलाफ प्रत्यक्ष कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादपत्र [illegible] हक व खाता तकसीम का है जो उचित त्याय शुल्क पर पेश [illegible] वाला व अन्दर मियाद है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण चक 17 एम.जे.डी. जमाबंदी सं. 2073–76 खाता सं. 140/103 में दर्ज 5.556है. भूमि में वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं चक 17 एम.जे डी. खाता सं. 140/103 में दर्ज 5.556है. हिस्सा में से वादी सं. 1 के नाम 1.518है. वादी सं. 2 के नाम 1.518है. व वादी सं. 3 व 4 के नाम 1.518है. हिस्सा दर्ज किया जाकर वाद पत्र कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.04.26 11:33:35 I
Reason: SelfAttested

चरण सं. 3 में वर्णितानुसार हम वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1, 3 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता को जवाब दावा हेतु बार बार अवसर दिये गये जाने के बावजूद जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 7 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादीगण को वांछित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादीगण रिकार्ड की गई। वादीगण और प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण बन्द किये गये। अधिवक्ता वादीगण ने फार्म नम्बर 3 के मध्य निम्न दस्तावेज पेश किये :–

1. जमबन्दी चक 17 एमजेडी खाता सं. 140 / 103 की प्रमाणित प्रति।
2. नामान्तरण चक 17 एमजेडी खाता सं. 34,35 की प्रमाणित प्रति।
3. फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र भंवर सिह पुत्र लछमण सिह

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 17 एमजेडी खाता संख्या 140 / 103 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में 5.556 हैक्टर कृषि भूमि लिछमणसिह पुत्र खेतसिह के नाम दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 17 एमजेडी के नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पेश गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 प्रतिवादी संख्या 1 लिछमणसिह के पुत्र / पुत्री है तथा वादी संख्या 3,4 एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रतिवादी संख्या 1 लिछमण सिह की पुत्र वधु एवं पोत्र पोत्री है। वादग्रस्त आराजी वादपत्र के वर्णितानुसार जमाबन्दी चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 140 / 103 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो उक्त प्रस्तुत चक 17 एमजेडी नामान्तरण से पैतृक साबित है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता बार–बार समय देने पर भी जवाब दावा पेश नही किया गया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार [illegible] जाता है कि– चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 140 / 103 में वादी [illegible] संख्या 2 दारासिह को 1.265 है. एवं वादी संख्या 3 [illegible] 1.265 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार [illegible] हद तक हिस्सा कम किया जाकर निम्नानुसार वादीगण [illegible] के आदेश दिये जाते है:–

चक नं 17 एम.ज.डी. खाता सं. 140 / 103

प्रतिवादी सं. 1 मागसिंह के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमि–

	मु.नं.	किला नं	
75 / 75	28	4 / 227, 5 / 202, 6 / 228, 7 / 253, 22 / 253	कुल 1.265 है. [illegible]

वादी सं. 2 दारासिंह के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

115/175	28	14/.253, 15/.228, 16/.227, 17/.253
115/176	35	1/.253, कुल 1.265 है. मय गै.मु.

वादीगण सं. 3 व 4 के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

115/175	28	24/.253
115/176	35	3/.253, 4/.253, 5/.253,
114/176	36	4/.228 कुल 1.265है. मय गै.मु.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 / 53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 285 / 2021

1. भाग सिंह पिसरान लिक्षमण सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. दारासिंह पिसरान लिक्षमण सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. भीमसिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सावत्री देवी पत्नी स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. लिछमण सिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. शारदा देवी पत्नी सुभाषसिंह पुत्री लिछमण सिंह जाति राजपूत साकिन कुलार तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
3. सुलोचना देवी पत्नी श्योपतसिंह पुत्री लिछमण सिंह जाति राजपूत साकिन कुलार तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
4. पूजा पत्नी जयसिंह पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. रानी पत्नी विनोदसिंह पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. ओ.बी.सी. बैंक शाखा धौलीपाल जरिये प्रबन्धक
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रतिवादीगण श्री भीमसिह छिंपा एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :– चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 140 / 103 में वादी संख्या 1 भाग सिह को 1.265 है. व वादी संख्या 2 दारासिह को 1.265 है. एवं वादी [illegible] 4 सावत्री देवी को 1.265 बहिब नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार [illegible] घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किया [illegible] खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:33:35 IST
Reason: SelfAttested

चक नं. 17 एम.जे.डी. खाता सं. 140 / 103

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
वादी सं. 1 भागसिंह के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–		
115 / 175	28	4 / .227, 5 / .202, 6 / .228, 7 / .253, 22 / .253 कुल 1.265 है. मय गै.मु.
वादी सं. 2 दारासिंह के हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–		
115 / 175	28	14 / .253, 15 / .228, 16 / .227, 17 / .253
115 / 176	35	1 / .253, कुल 1.265 है. मय गै.मु.

कलक्टर एवं अधिकारी